Rental Deposit taken by MTNL from the Subscribers

3632. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 848 given in the Rajya Sabha on 3rd August, 1993 and state;

(a) the time since when the deposit equivalent to a year rental is being charged by the M.T.N.L. in Delhi and Bombay and the level at which this decision was taken and the total deposit with M.T.N.L. as on 31st July, 1993;

(b) whether similar deposit is also being charged from the subscribers in the rest of the country; and

(c) what is the present rate of interest payable to those who deposit fixed amounts under various categories alongwith the application for telephone connections both under the jurisdiction of the M.T.N.L. and the rest of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) Yes, Sir.

(c) The rate of interest (renamed as waiting charges) payable on fixed amounts is at par with the rate of interest payable by the State Bank of India on fixed deposits made with them for a period of one year. The present rate of interest is 11% per annum. In case telephone connection is not provided within the specified period, the deposit made on or after 28-4-93 will carry an additional waiting charge of 3%.

संसद सदस्यों के कोटे में से स्वीकृत किये गये टेलीफोनों को लगाये जाने में सरकार द्वारा लिया जाने वाला समय

3633. **श्री राम देव भंडारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के कोटे से दिये गये टेलीफोन कनैक्शनों की अधिकतम संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन लाइनें खाली न रहने और अन्य तकनीकी तथा अन्य कारणों से ऐसे टेलीफोन लगाने में काफी महीने लग जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार एक ऐसी सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है जिसके भीतर ऐसे टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) संसद सदस्य एक कलेण्डर वर्ष में नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार 25 टेलीफोन कनैक्शनों की सिफारिश कर सकते हैं :

संसद सदस्य (लोक सभा) 25 टेलीफोन कनैक्शन (10 टेलीफोन अपने निर्वाचन क्षेत्र में और 15 टेलीफोन कनैक्शन भारत में कहीं भी)

संसद सदस्य (राज्य सभा) 25 टेलीफोन कनैक्शन (10 टेलीफोन कनैक्शन सम्बद्ध राज्य में और 15 टेलीफोन कनैक्शन भारत में कहीं भी)

(ख) जी हां।

(ग) संसद सदस्यों के कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोन कनैक्शनों की मंजूरी जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर संस्थापित करने संबंधी अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं बशर्ते कि संबंधित पार्टियों ने टेलीफोन कनैक्शन के लिए अपनी मांग पंजीकृत करवाने, पंजीकरण संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करने आदि जैसी वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हों और टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।